न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 53/2025

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
भारथाराम पुत्र अजाराम जाति जाट निवासी बावडीकला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		राजस्थान राज्य बजरिये नायब तहसीलदार चौहटन

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.09.2025 जो प्रकरण सं. 419/2024 मे तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेश भादू, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 17.12.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण सं. 419/2024 सरकार बनाम भारथाराम में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का बावडीकला द्वारा तहसीलदार चौहटन के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बावडीकला के खसरा नम्बर 138 रकबा 42–08 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर में 500 वर्गफीट पर गैर सायल भारथाराम द्वारा राजकीय भूमि पर कमरा निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार चौहटन द्वारा [illegible] 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस [illegible] हेतु तलब किया गया। गैर सायल के अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हुए इस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 15.09.2025 के द्वारा 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 30.10.2025 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का खेत मौजा बावडीकलां के खसरा नम्बर 138 रकबा 42–08 बीघा का आया हुआ है। अपीलार्थी को हल्का पटवारी बावडी कलां की रिपोर्ट पर दिनांक 26.09.2024 को प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को पेशी तारीख 04.10.2024 का नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलार्थी को उक्त प्रकरण से संबंधित कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ तथा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने के अवसर को दरकिनार कर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दिनांक 15.09.2025 अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा किये गये मिथ्या कथनों के आधार पर वास्तविकता से परे जाकर अपीलकर्ता को अतिक्रमी घोषित कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है। जो निरस्त योग्य हैं।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम बावडी कलां के गे0मु0 गोचर भूमि पर भारथाराम पुत्र अजाराम के कमरा निर्माण होना प्रकट किया है जबकि राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकीन गोचर दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को 1 वर्ष से अधिक अवसर दिया जाने के उपरांत भी अपना जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण या आधिपत्य नहीं है तो फिर अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश उसके विरूद्ध प्रवर्तनीय ही नहीं है और न ही यह अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही किये है ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2025 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:56:54 IST
Reason: SelfAttested